

प्रेषक,

आयुक्त,

अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ एवं अध्यक्ष
मण्डलीय समिति, अलीगढ़ मण्डल।

सेवा में,

शक्ति,

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केंद्र-2 रामुदाय केन्द्र,
प्रोतिबिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: एस0टी0/एन0ओ0सी0/

/2010-11 दिनांक: 23/11/2011

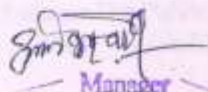
विषय: अलीगढ़ मण्डल में स्थिति माध्यमिक विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या: 1916 (1)/15-7-09-1 (299)/2007 दिनांक 14.07.2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक: 22.11.2011 में लिये गये निर्णय के अनुसार डॉ0 लोकमन दास पब्लिक स्कूल, चाँदपुर- एटा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति पत्र में अंकित निम्न प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

प्रतिबंध-

1. विद्यालय की पंजीकृत सौरासटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक, सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की स्थिति से उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भौति अनुमन्य सेवानिवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।


Manager

Dr. Lokman Das Public School
Chandpur (Etah)


Principal
Dr. Lokman Das Public School
Chandpur (Etah)

Annex. 7

7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8. विद्यालय रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9. विद्यालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर अग्नि शमन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

10. नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाये।

11. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।

भवदीय

(ओ०पी०एन०सिंह)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

कार्यालय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़।

पृष्ठांकन संख्या: एसटी०/एन०ओ०सी०/५७४९-९५-२०१०-११ दिनांक:
वही।

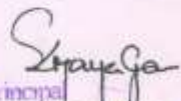
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), उ०प्र० शासन, शिक्षा ७ अनुभाग, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ०प्र०, १८ पार्क रोड, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, एटा।
4. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा।
6. प्रबन्धक, सम्बन्धित विद्यालय।
7. गार्ड फाइल।

(अहिबरेन सिंह)

सचिव/सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।


Manager
Dr. Lokman Das Public School
Champur (Etah)


Principal
Dr. Lokman Das Public School
Champur (Etah)